

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF
INDIA, EXTRAORDINARY ISSUE OF
PART -II, SECTION-3 (iii) ON 15th
SEPTEMBER, 2017

TO BE RE-PUBLISHED IN THE
PUNJAB STATE GAZETTE,
EXTRAORDINARY ISSUE ON 15th
SEPTEMBER, 2017

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 15th September, 2017

24 Bhadrapada, SAKA 1939

NOTIFICATION

No. **100/PB-HP/2017/NS-I**: - **WHEREAS**, the seat of **Sh. Vinod Khanna**, in the House of People elected from **1-Gurdaspur Parliamentary Constituency**, in the State of Punjab, has become vacant on **27th April, 2017** by the reason of his **death**; and


WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;-

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-sections (1) of Section 149, and Section 30 and 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) **calls upon** the said **1-Gurdaspur Parliamentary Constituency** in the State of Punjab to elect, before the 17.10.2017, (Tuesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People;
- (B) **appoints**, with respect to said election :-
- i. the **22nd September, 2017 (Friday)**, as the last date for making nominations;
 - ii. the **25th September, 2017 (Monday)**, as the date for the scrutiny of nominations;

- iii. the **27th September, 2017 (Wednesday)**, as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - iv. the **11th October, 2017 (Wednesday)**, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - v. the **17th October, 2017 (Tuesday)**, as the date before which the election shall be completed; and
- (B) **fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,



(AVINASH KUMAR)
SECRETARY TO THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत के राजपत्र के असाधारण अंक
के भाग-II खण्ड-3(III) में 15 सितम्बर,
2017 को प्रकाशनार्थ।

पंजाब राज्य के राजपत्र के असाधारण
अंक में 15 सितम्बर, 2017 को
प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 15 सितम्बर, 2017

24 भाद्रपद, 1939 (शक)

अधिसूचना

सं.100/ पंजाब-लोकसभा/2017/उत्तर-I- यतः, पंजाब राज्य की 1-गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा में निर्वाचित श्री विनोद खन्ना की सीट उनकी मृत्यु होने के फलस्वरूप 27 अप्रैल, 2017 को रिक्त हो चुकी है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के उद्देश्य से एक उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है:-

अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा(1) और धारा 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा निम्नलिखित नियत करता है-

(अ) पंजाब राज्य में 1-गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों एवं किए गए आदेशों के अनुसार, लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के उद्देश्य से एक व्यक्ति को 17 अक्टूबर, 2017 (मंगलवार) से पहले निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| (i) नामांकन भरने की अंतिम तारीख- | 22 सितम्बर, 2017(शुक्रवार); |
| (ii) नामांकनों की संवीक्षा-की तारीख | 25 सितम्बर, 2017(सोमवार); |

(iii) अभ्यर्थिताएँ वापिस लेने की अंतिम तारीख- 27 सितम्बर, 2017(बुधवार);

(iv) मतदान, यदि आवश्यक हुआ, आयोजित
किए जाने की तारीख-

11 अक्टूबर, 2017(बुधवार); और

(v) वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन संपन्न
करवा लिया जाएगा-

17 अक्टूबर, 2017(मंगलवार); और

(इ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में निर्धारित किया जाता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो ऊपर निर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,



(अविनाश कुमार)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग